तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	महीपाल बनाम राजश्री वगै अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए मुकदमा नम्बर –138 / 2023	

15.02.2024

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील एवं राज पैरोकार उपस्थित । अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध पूर्व मे एकतरफा कार्यवाही की गई है। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी के नाम से तहसील लूनकरनसर की ग्राम रोही चक भंवरिया पटवार हल्का अरजनसर स्टेशन भू.अभि.नि. अरजन स्टेशन तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर के खाता सं. नया 165 व खाता सं. पुराना 153 के ख.नं. 447 / 248 में कुल 3.1600 हैक्टर खातेदार भूमि स्थित है। उक्त खातेदारी में प्रार्थी आवासीय पक्की ढाणी बनाकर निवास कर रहा है। अप्रार्थीगण सं. 01 के नाम से रोही चक भंवरिया पटवार हल्का अरजनसर स्टेशन भू.अभि.नि. अरजनसर स्टेशन तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर के खाता सं. नया 198 व खाता संख्या पुराना 182 के ख. न. 249 में 4. 1000 हैक्टेयर व ख.न. 258 में 3.2300 हैक्टेयर कुल 7.3300 हैक्टेयर खातेदारी भमि स्थित है। प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी भूमि में प्रवेश करने के लिए अप्रार्थी सं. 01 क ख.नं. 249 के पश्चिम दिशा में से होकर अपने खेत में प्रवेश करता है जो अप्रार्थी सं. 01 का है जो प्रार्थी के खेत के खसरे मे चिपते ही है जिसमे से होकर प्रार्थी कटान के रास्ते के मार्फत गांव से खेत आता जाता है, प्रार्थी ख0न0 249 के पश्चिम दिशा मे से होकर प्रवेश कर अपनी खातेदारी भूमि व अपनी ढाणी में वर्षों से आवागमन करता है तथा इसी रास्ते से अपना उंट गाडा,ट्रेक्टर, पशुधन लाता ले जाता चला आ रहा है तथा रास्ते का उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है उक्त रास्ता आगे कटानी रास्ते का मिलान करता है प्रार्थी दिनांक 31. 05.2023 को अपने खेत में काश्त करने के लिए जा रहा था तो अप्रार्थी सं. 01 ने कहा की उक्त रास्ता हमारे खेत में से नही है इसलिए आज हम इस रास्ते को बन्द कर देगें। इस प्रकार प्रार्थी को अपने खेत मे काश्त करने व आवागमन करने के लिए रास्ते की आवश्यकता है, प्रार्थी रास्ता कटवाने का अधिकारी है।उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की खातेदारी जौत में आने जाने का अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता नहीं है। प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए और कोई स्वीकृत रास्ता नही है। जबकि प्रार्थी को अपने खातेदारी भूमि में आने जाने काश्त करने लिए रास्ता लेने का संवैधानिक अधिकार है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 01 के ख. न. 249 मे से रास्ते से आवागमन करता आ रहा है, इसलिए प्रार्थी को उक्त खसरे के पश्चिम दिशा में रास्ता स्वीकृत किया जाना आवश्यक है क्योंकि खसरा न0 249 की भूमि अप्रार्थी सं. 01 की है प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि मे आने जाने के लिए रास्ता लेने का कानूनी अधिकारी है। प्रार्थी उक्त अप्रार्थी सं. 01 के खसरा नम्बर 249 मे से 02–02 बिस्वा भूमि मे से रास्ता स्वीकृत कर रास्ते के लिए काम ली जायेगी। जिसके लिए प्रार्थी राज्य सरकार के नियमानुसार राशि जमा कराने को तैयार हैं प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र मे बहस के अन्तर्गत श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए ग्राम रोही चक भंवरिया के अप्रार्थी सं. 01 के खसरा नम्बर 249 के पश्चिम दिशा मे से 02–02 बिस्वा भूमि मे से रास्ता कटान करने के आदेश प्रदान करे ताकि प्रार्थी अपनी उपर्युक्त जौत में आ जा सकें।

राज पैरोकार द्वारा जवाब में कहा गया की स्वीकृत किये जाने वाला रास्ता प्रार्थी के खेत मे रास्ता उपलब्ध नहीं है इसलिये गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत करवा रहे है सरकार को कोई आपति नहीं हैं। राज पैरोकार द्वारा रास्ता नियमानुसार स्वीकृत करने बाबत सहमति दी ।

हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत रिकॉर्ड ग्राम रोही चक भंवरीया जमाबन्दी संवत् 2078, आंशिक नजरी ट्रेस नक्शा एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया । उपरोक्त बहस एवं रिकॉर्ड अवलोकन से स्पष्ट है प्रार्थी को अपने खेत तक पहुंच हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं है अतः काश्त हेतु रास्ता उपलब्ध होना आवश्यक है। प्रार्थी के खेत ग्राम रोही चक भंवरिया खसरा नम्बर 447 / 248 तक पहुंच हेतु ग्राम रोही चक भंवरिया के अप्रार्थी सं. 01 के खसरा नम्बर 249 के पश्चिम दिशा मे से 02–02 बिस्वा भूमि मे से रास्ता कटान मुताबिक ट्रेस नक्शा अनुसार प्रार्थी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर को फैसले की प्रमाणित प्रति भेज निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि पर उक्तानुसार स्वीकृत रास्ता नियमानुसार भूमि गणना कर वर्तमान डीएलसी दर के दुगने भुगतान होने पर रिकॉर्ड में अंकन कर मौके पर रास्ता की निशानदेही करावें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो ।

यह आदेश आज दिनांक 15.02.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर